प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा पंचकूला।

सेवा में

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सभी प्राचार्य।

यादी क्रमांक 15/149-2017 C-I(5)
दिनांक, पंचकूला 16-11-2017

विषय :– **विभिन्न कोर्ट केसिज में महाविद्यालयों द्वारा बनाए गए जवाबदावों की Vetting बारे दिशा निर्देश।**

*****

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके कार्यालय द्वारा तैयार किए गए जवाबदावों को वैट करवाने बारे जो कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, वे कई बार कोर्ट केस के तथ्यों से परिचित नहीं होते हैं तथा उनका सहयोग नगण्य रहता है। इस प्रकार कोर्ट केसिज के मामलों में अनावश्यक विलंब होता है तथा कुछ मामलों में सक्षम प्राधिकारी/निदेशालय की छवि कोर्ट में धूमिल होती है।

इसलिए भविष्य में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को कोर्ट केस से संबंधित मामलों में प्रतिनियुक्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सारा संबंधित रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया हो ताकि वह मामले से संबंधित तथ्यों से पूर्णतः परिचित हो सके तथा Law Officer का सहयोग कर सके।

इन हिदायतों की अनुपालना में कोताही आपको विभागीय कार्यवाही का पात्र बना सकती है।

अधीक्षक महाविद्यालय–1
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा पंचकूला।